**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3108

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**शिक्षण के पदों में आरक्षण हेतु यूजीसी फार्मूला**

**3108. श्री रवि प्रकाश वर्माः**

**श्री नीरज शेखरः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण के पदों हेतु आरक्षण को क्रियान्वित करने के संबंध में यूजीसी द्वारा तैयार नए फार्मूले को हाल ही में स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यूजीसी द्वारा इसे कब तक अधिसूचित किया जाएगा;

(ग) क्या नए फार्मूले के कारण, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (घ): अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित संकाय पदों के प्रतिशत में कोई नया फार्मूला नहीं है। तथापि, इलाहबाद उच्च न्यायालय के निर्णय जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया था, के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक समिति गठित की थी जिसने यूजीसी दिशानिर्देशों के खंड 6(ग) और 8(क)(V) में संशोधनों की सिफारिश की थी जिनसे सरकार की विश्वविद्यालयों, सम-विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य सहायताप्राप्‍त संस्थाओं और केन्द्रों में आरक्षण नीति, 2006 का सख्ती से कार्यान्वयन किया जा सके और जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर यूजीसी ने उक्त खंडों को संशोधित किया है और नए रोस्टर तैयार करने के अनुदेश जारी किए हैं।

 विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद इन मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की है जोकि आरक्षित श्रेणियों के अभ्यावेदन पर नए आरक्षण रोस्टर के प्रभाव का आंकलन करती है। उक्त समिति की सिफारिशों और विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाह के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाने वाली एसएलपी के मामले में विधि अधिकारी की कानूनी राय मांगी गई है।

 अनु.जा./अनु.ज.जा./ओबीसी श्रेणियों के लिए आरक्षण को अधिदेशित करने वाले सांविधिक प्रावधान जारी रहेंगे। तथापि, यूजीसी कानूनी विकल्‍प पर विचार-विमर्श कर रहा है।

**\*\*\*\*\***